रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 507] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 5, 2001/आश्विन 13, 1923
No. 507] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 5, 2001/ASVINA 13, 1923

CENTRAL ... GOVERNMENT OF INDIA

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(न्याय विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अक्तूबर, 2001

सा.का.नि. 757(अ).— उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम,1958 (1958 का 41) की धारा 24 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 23 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश नियम, 1959 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों को उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (द्वितीय संशोधन) नियम, 2001 कहा जाए ।
   (2) यह दिनांक 25 मई, 2001 से प्रवृत्त हुए माने जाएंगे ।

2. उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश नियम, 1959 में नियम 3(ख) में :-
   (i) उप-नियम (1) का परन्तुक हटा दिया जाएगा ;
   (ii) उप-नियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

   "यह कि इस नियम के अन्तर्गत उपलब्ध होने वाले सेवा-निवृत्ति लाभ आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अन्तर्गत कर-योग्य आय नहीं माने जांएगे ।"

व्याख्यात्मक ज्ञापन

कथित संशोधन पूर्व प्रभाव से लागू किए जा रहे हैं क्योंकि सेवा-निवृत्त भारत के मुख्य न्यायाधीशों को अतिरिक्त सेवा-निवृत्ति लाभ 25-5-2001 से दिए गए हैं । यह निर्णय उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन एवं

सेवा शर्तें) अधिनियम, 1958 (1958 का 41) की धारा 23 की उपधारा (4) के परन्तुकों के अनुसरण में लिया गया है, ताकि इस अधिसूचना द्वारा प्रस्तावित लाभ उसी तिथि अर्थात् 25-5-2001 से दिए जा सकें । यह प्रमाणित किया जाता है कि पूर्व प्रभाव से लागू करने पर किसी भी व्यक्ति के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ने की कोई सम्भावना नहीं है।

[फा. सं. एल-11025/15/2001-न्याय]

पी. के. अग्रवाल, संयुक्त सचिव

टिप्पणी :-प्रधान नियम अधिसूचना सं. सा.का.नि. 935, दिनांक 4-8-1959 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग-II, खण्ड 3(1) पृष्ठ 1161 के तहत प्रकाशित किए गए थे और तदोपरान्त निम्नलिखित के द्वारा संशोधित किए गए थेः-

1. सा.का.नि. सं. 1366 दिनांक 18-12-1974
2. सा.का.नि. सं. 634 दिनांक 22-4-1976
3. सा.का.नि. सं. 854 दिनांक 1-8-1980
4. सा..का.नि. सं 1176(अ) दिनांक 4-11-1986
5. सा.का.नि. सं. 680(अ) दिनांक 12-11-1991
6. सा.का.नि. सं. 381(अ) दिनांक 20-4-1993, 25-9-92 से प्रभावी
7. सा.का.नि. सं. 444(अ) दिनांक 10-5-1995, 12-11-94 से प्रभावी
8. सा.का.नि. सं. 717(अ) दिनांक 3-11-1995
9. सा.का.नि. सं. 718(अ) दिनांक 3-11-1995,1-4-1994 से प्रभावी
10. सा.का.नि. सं. 149(अ) दिनांक 24-2-1999 ; और
11. सा.का.नि. सं. 393(अ) दिनांक 25-5-2001

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Justice)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th October, 2001

G.S.R. 757(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section(3) of section 23 read with sub-section (2) of section 24 of the Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1958 (41 of 1958), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Supreme Court Judges Rules, 1959, namely:-

1. (1) These rules may be called the Supreme Court Judges (Second Amendment) Rules, 2001.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 25th May,2001.

2. In the Supreme Court Judges Rules,1959,in rule 3B,-

(i) the proviso to sub-rule (1) shall be omitted;

(ii) after sub-rule (3), the following proviso shall be inserted, namely:-

" Provided that the retiral benefits available under this rule shall not be deemed to be income, liable to tax under the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961)."

.....2.

Explanatory Memorandum

The said amendment is being made retrospectively for the reason that additional retiral benefits had been extended to the retired Chief Justices of India with effect from 25.5.2001. This decision has been taken in accordance with the provisions of sub-section (4) of Section 23 of the Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act,1958 (41 of 1958) to extend the benefits proposed by this Notification from the same date i.e.25.5.2001. It is certified that by giving retrospective effect, nobody's interest is likely to be adversely affected.

[F. No. L-11025/15/2001-Jus.]
P. K. AGRAWAL, Jt. Secy.

NOTE:- The Principal Rules were published vide Notification GSR 935 dated the 4th August, 1959, Gazette of India, Part-II, section 3(I) page 1161 and subsequently amended by:

1. GSR No.1366 dated 18.12.1974.
2. GSR No.634 dted 22.4.1976.
3. GSR No.854 dated 1.8.1980.
4. GSR No.1176(E) dated 4.11.1986.
5. GSR No.680(E) dated 12.11.1991.
6. GSR No.381(E) dated 20/4/1993 w.e.f. 25.9.92.
7. G.S.R. 444(E) dated 10.5.1995 w.e.f. 12.11.94.
8. GSR No. 717(E) dated 3.11.1995.
9. GSR No. 718(E) dated 3.11.1995 w.e.f.1.4.1994
10. GSR No. 149(E) dated 24.2.1999 and
11. GSR No. 393(E) dated 25.5.2001.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 2001